रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 123] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 1981/ज्येष्ठ 15, 1903

No. 123] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 1981/JYAISTHA 15, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं० 30-आई टी सी (पी एन)/81

नई दिल्ली, 5 जून, 1981

आयात व्यापार नियंत्रण

विषय :— 100% निर्यात अभिमुख एककों के लिए भारत में किए गए सम्भरणों के मद्दे आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्रदान करना।

मिसिल संख्या-1/2(16-ए)आर० ई० पी०/74-ई० पी० सी०.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 13-आई० टी० सी० (पी० एन०)/81, दिनांक 3 अप्रैल, 1981 के अधीन प्रकाशित यथा संशोधित 1981-82 के लिए आयात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. यह निश्चय किया गया है कि उक्त आयात नीति में 100% निर्यात अभिमुख एककों के सम्बद्ध वर्तमान कंडिका 172 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के लिए अनुबन्ध के रूप में नई कंडिका 172-क को जोड़ा जाए।

कुमारी रोमा मजुमदार, मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात

सार्वजनिक सूचना सं० 30-आईटीसी(पीएन)/81. दिनांक 5 जून, 1981 के लिए अनुबंध

100% निर्यात-अभिमुख एककों के लिए भारत में किए गए संभरण

172(क) (1) भारत में 100% निर्यात अभिमुख एककों के लिए पूंजीगत माल, कच्चे माल, संघटक और फालतू पुर्जों के सम्भरण पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात-नीति के अनुसार आयात पूर्ति के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि :—

(क) सम्भरण किया गया माल भारत में तैयार किया गया हो ;

(ख) सम्भरण अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर किए गए हों ;

(ग) सम्भरक एक पंजीकृत निर्यातक हो और अन्यथा रूप से लागू नीति के अधीन आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए पात्र हो।

(2) ऐसे मामलों में सम्भरक का बीजक सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा इस सम्बंध में पृष्ठांकित होना चाहिए कि बीजक के अन्तर्गत आने वाले माल 100% निर्यात अभिमुख एककों द्वारा प्राप्त हो गए हैं और उस एकक का नाम और पता भी दिया जाना चाहिए।

(3) जहां सम्बद्ध क्रेता एकक के पास उसी माल के आयात के लिए आयात लाइसेंस हो तो वहां सीमाशुल्क प्राधिकारी बीजक पर पृष्ठांकन

करते समय लाइसेंस को भी घटा देगा और उसे स्थानीय प्राप्त सीमा तक माल के सीधे आयात के लिए अवैध कर देगा।

(4) इस व्यवस्था के अधीन स्थानीय प्राप्त माल चाहे वे आयात लाइसेंस के मद्दे या अन्यथा रूप से प्राप्त किए गए हों वे उपर्युक्त उप-कंडिका 172(7) में यथा निर्धारित प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय एकक द्वारा लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाले लेखे में शामिल किए जाएंगे।

(5) स्थानीय प्राप्त माल का उपयोग 100% निर्यात अभिमुख एककों के लिए निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुसार किया जाएगा।

(6) माल के सम्भरक पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अंतर्गत ऐसे सम्भरण के मद्दे आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस मांग सकते हैं। आयात के लिए आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तरीके से सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजे जाने चाहिएं। आवेदन-पत्र के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए :—

(1) आवेदन-पत्र शुल्क की अपेक्षित धनराशि का चालान।

(2) सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत पृष्ठांकित इस सम्बंध में सम्भरक का बीजक कि बीजक में शामिल माल सम्बद्ध क्रेता युनिट द्वारा प्राप्त कर लिया गया हो।

(3) यह प्रदर्शित करने वाला साक्ष्य कि सम्भरण अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर किया गया है। ऐसा साक्ष्य उसी तिमाही के दौरान आवेदक द्वारा समान विवरण के निर्यातित माल के जहाज पर्यन्त निःशुल्क इकाई मूल्य को प्रदर्शित करते हुए एक बैंक प्रमाण पत्र के रूप में हो सकता है। लाइसेंस प्राधिकारी अपने संतोष के लिए कोई अन्य साक्ष्य भी स्वीकार कर सकता है।

(4) आयात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक 1981-82 में निर्धारित किए गए प्रपत्र में निर्यातों का विवरण।

(5) जिस आर० ई० पी० लाइसेंस पर मूल्य अनुमेय होगा वह "गन्तव्य स्थान के लिए" होगा।

ऐसे सम्भरण पर आधारित आवेदन-पत्र अलग-अलग प्रस्तुत किए जाने चाहिएं और वास्तविक निर्यातों पर आधारित मांगों में शामिल नहीं किए जाने चाहिएं।

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE No. 30-ITC(PN)/81

New Delhi, the 5th June, 1981

IMPORT TRADE CONTROL

Subject : Grant of Import replenishment licences against supplies made in India to 100 per cent export-oriented units.

F. No. 1/2/(XVI-A)/REP/74-EPC.—Attention is invited to Import Policy for 1981-82 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 13-ITC(PN)/81, dated the 3rd April, 1981 as amended.

2. It has been decided to incorporate a new paragraph No. 172-A after the existing paragraph No. 172 pertaining to 100 per cent export-oriented units in the said import policy, as in the annexure to this Public Notice.

MISS ROMA MAZUMDAR, Chief Controller of Imports & Exports

Annexure to Public Notice No. 30-ITC(PN)/81, dated the 5th June, 1981

Supplies made in India to 100 per cent export-oriented units.

172-A(1) Supplies of capital goods, raw materials, components and spares to 100 per cent export-oriented units in India will be eligible for import replenishment licences in accordance with the import policy for Registered Exporters provided :—

(a) the goods supplied have been manufactured in India;

(b) the supplies have been made at international price; and

(c) the supplier is a Registered Exporter and is otherwise eligible to the import replenishment licence under the policy in force.

(2) The supplier's relevant invoice in such cases should be got endorsed by the customs authority to the effect that the goods covered by the invoice have been received by the 100 per cent export-oriented unit concerned, giving the name and address of that unit.

(3) Where the buyer unit concerned has an import licence for import of the same goods, the customs authority endorsing the involve will also debit the import licence making it invalid for direct imports of goods to the extent procured locally.

(4) The goods obtained locally under this provision, whether against an import licence or otherwise, shall be included in the account to be furnished by the unit to the licensing authority at the end of each financial year, as laid down in sub-para 172(7) above.

(5) The goods thus obtained locally shall be used for export production in accordance with the provisions laid down for 100 per cent export-oriented units.

(6) The supplier of the goods can claim import replenishment licences under the import policy for Registered Exporters against such supplies. Import applications should be made to the licensing authorities concerned in the prescribed form and manner. The application should be supported by the following documents :—

(i) Challan for the requisite amount towards application fee.

(ii) Supplier's invoice duly endorsed by the customs authority to the effect that the goods covered by the invoice have been received by the buyer unit concerned.

(iii) Evidence to show that the supplies have been made at international price. Such evidence may be in the form of a bank certificate showing the unit for value of goods of similar description exported by the applicant during the same quarter. The licensing authority may also accept any other evidence to it satisfaction.

(iv) A statement of exports in the form prescribed in the Hand Book for Import-Export Procedures for 1981-82.

(v) The value on which REP licence will be admissible will be "FOR destination".

Applications based on such supplies should be made separately and not included in the claim based on physical exports.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981